न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रतनगढ़ जिला, चूरू

पीठासीन अधिकारीः– :– अविनाश चौधरी,

आर.जे.एस.

मूल दांडिक प्रकरण संख्याः 02/2018

राज. राज्य बनाम जाकिरहुसैन पुत्र इसबअली उर्फ युसुफखां

जाति–कायमखानी

निवासी–राजपुरा

तहसील–तारानगर

जिला–चूरू (राज.)

.....अभियुक्त

अंतर्गत धारा 498ए,406,323 भा.द.सं.

उपस्थितः–

1. अभियोजन अधिकारी–वास्ते राज्य।
3. श्री महावीर सिहागअधिवक्ता–वास्ते अभियुक्त।

निर्णय दिनांकः 08.01.2018

1. दिनांक 02.01.2018 को थानाधिकारी, पुलिस थाना, रतनगढ़ द्वारा अभियुक्त जाकिर हुसैन के विरूद्व अपराध अन्तर्गत धारा 498ए,406,323 भा.द.सं. के आरोप में प्रस्तुत आरोप पत्र पर हस्तगत प्रकरण न्यायालय में संस्थित किया गया।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि परिवादिया श्रीमती रूबिना ने दिनांक 28.11.2017 को पुलिस अधीक्षक,चूरू को संबोधित एक टंकित प्रार्थना पत्र पुीलिस थाना, रतनगढ़ पर इस आशय का पेश किया कि प्रार्थीया की शादी मुस्लिम विध्यिा व रश्मोरिवाज के अनुसार जाकिरहुसैन के साथ संपन्न हुई थी। मुलजिम के नुत्फे से प्रार्थीया के दो पुत्र भी है। शादी के समय प्रार्थीया के पिता ने अपनी हैसीयत के अनुसार दहेज का सामान व जेवरात दिये थे लेकिन प्रार्थीया के पति जाकिरखां, सास श्रीमति चुकिया व ससुर युसुफखां दहेज के सामान से संतुष्ट नहीं हुए व बार बार नकदी व सामान की मांग करने लगे। जब उनकी मांग पूरी नहीं की गई तो प्रार्थीया के साथ तीनों बदसलूकी व क्रूरता का व्यवहार शुरू कर दिया तथा मारपीट करने लगे। इसी क्रम में दिनांक 26.11.2017 को सांय चार बजे दहेज व नकदी की मांग को लेकर प्रार्थीया के पति जाकिरखां ने प्रार्थीया के साथ मारपीट की। प्रार्थीया के हल्ला करने पर पड़ौसी भंवरूखां व भंवरी ने आकर प्रार्थीया को छुड़ाया। फिर प्रार्थीया के पिता को रतनगढ़ में ईत्तला की जिस पर प्रार्थीया के पिता उसे रतनगढ़ ले आये। प्रार्थीया ने मुलजिमान से

अपना दहेज का सामान मांगा तो देने से इंकार कर दिया,आदि। उक्त रिपोर्ट के आधार पर प्र.सू.रि.संख्या 354/2017 धारा 498ए,406,323 भा.द.सं.में दर्ज कर अनुसंधान किया गया व बाद अनुसंधान अभियुक्त जाकिरहुसैन के विरूद्ध धारा 498ए, 406, 323 भा.द.सं.के अपराध के अंतर्गत आरोप पत्र इस न्यायालय में पेश किया गया जिस पर अभियुक्त के विरूद्ध धारा 498ए,406,323 भा.द.सं.के अपराध का प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया।

3. दिनांक 02.01.2018 को बहस आरोप सुनी जाकर अभियुक्त जाकिरहुसैन को धारा 498ए,406, 323 भा.द.सं.के अपराध के आरोप पृथक से विरचित कर पढ़कर सुनाये व समझाये गये तो अभियुक्त ने अपराध से इंकार कर अन्वीक्षा चाही।

4. दौराने अन्वीक्षा दिनांक 08.01.2018 को परिवादिया रूबिना व अभियुक्त जाकिरहुसैन के मध्य राजीनामा हो जाने पर उन्होने धारा 406 व 323 भा.द.सं.के अपराध में स्वेच्छया राजीनामा पेश किया जो पुश्त पर तस्दीक किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया।

5. अभियोजन पक्ष की ओर से आरोप के समर्थन में मौखिक साक्ष्य में अभि.सा.1 रूबिना अभि.सा.2 हाजरा बानो को परीक्षित करवाया गया एवं प्रलेखीय साक्ष्य में टंकित रिपोर्ट प्रदर्श पी.1, चोट प्रतिवेदनप्रदर्श पी.2, एक्सरे रिपोर्ट प्रदर्श पी.3, चाक एफ.आई.आर. प्रदर्श पी.4, फर्द जब्ती प्रदर्श पी.5, पुलिस बयान रूबिना प्रर्श पी.6 तथा पुलिस बयान हाजरा बानो प्रदर्श पी.7 को प्रदर्शित करवाया गया। पक्षकारान के मध्य राजीनामा हो जाने एवं उक्त दोनों ही महत्वपूर्ण गवाहान के पक्षद्रोही घोषित हो जाने के कारण अभियोजन अधिकारी ने शेष अभियोजन गवाहान को तर्क कर दिया।

6. अभियोजन साक्ष्योपरांत अभियुक्त का परीक्षण अंतर्गत धारा 313 द. प्र.सं.किया गया। अभियुक्त ने बचाव में कोई साक्ष्य पेश नहीं करना चाहा।

7. उभय पक्षों की बहस अंतिम सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। चूंकि पक्षकारान के मध्य धारा 406 व 323 भा.द.सं. के अपराध में राजीनामा न्यायालय में पेश हो तस्दीक हो चुका है, अतः अब न्यायालय के समक्ष अवधारणीय बिंदु यह है किः–

1.आया अभियुक्त ने दिनांक 28.11.2017 से करीब पांचच वर्ष पूर्व कस्बा रतनगढ़ में किसी समय को परिवादिया श्रीमती रूबिना के साथ स्वंय की शादी संपन्न होने के बाद से निरंतर उसे और अधिक दहेज की अवैध मांग को लेकर तंग व परेशान व मारपीट कर उसके साथ क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया?

2.आया अभियुक्त के विरूद्ध अपराध साबित है और यदि हां तो वे किस

दंड के पात्र हैं?

8. चूंकी पक्षकारान के मध्य धारा 406 व 323 भा.द.सं.के अपराध में राजीनामा पेश होकर तस्दीक हो चुका है तथा अभियुक्त के विरूद्ध केवल धारा 498ए भा.द.सं.के अपराध का आरोप ही शेष है। अतः इस संबंध में अभियोजन पक्ष की ओर से जो साक्ष्य पेश की गई है उसमें अभि.सा.1 रूबिना स्वंय परिवादिया है जो पक्षद्रोही घोशित हुई है और इस गवाह ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि उसका निकाह बयान से करीब पांच साल पहले उसके पिता ने अपनी हैसीयत के अनुसार जाकिरहुसैन के साथ किया था। निकाह के बाद वह ससुराल अपने जाने लगी। ससुराल में पति व अन्य ससुरालजनों का उसके प्रति व्यवहार अच्छा रहा। उसे उसके पति ने कभी भी दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित नहीं किया। अभियोजन अधिकारी द्वारा की गई जिरह में इस गवाह ने यह स्वीकार किया कि उसने एक प्रार्थना पत्र एस.पी.साहब चूरू को पेश किया था जो प्रदर्श पी.1 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। गवाह ने यह भी स्वीकार किया कि प्रार्थना पत्र प्रदर्श पी.1 रतनगढ़ थाना में भिजवाया गया था। रिपोर्ट प्रदर्श पी.1 का हिस्सा सी से डी सुनकर गवाह ने लिखाने से इंकार करते हुए स्वतः कथन किया कि रिपोर्ट में क्या लिखा था उसे पढ़कर नहीं सुनाया, उसके तो केवल हस्ताक्षर कराये थे। गवाह ने रिपोर्ट प्रदर्श पी.1 को पढ़सुन व समझ कर हस्ताक्षर करने से इंकार किया है। गवाह ने अपनी चोटों का डॉक्टरी मुआयना होना स्वीकार करते हुए चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी.2 पर ए से बी स्वंय के हस्ताक्षर होना कथन किया है एवं एक्सरे रिपोर्ट प्रदर्श पी.3 होना बताया है। गवाह ने चाक रिपोर्ट प्रदर्श पी.4 पर भी ए से बी स्वंय के हस्ताक्षर होना स्वीकार करते हुए यह भी स्वीकार किया है कि पुलिस ने उसका स्त्रीधन जरिये फर्द प्रदर्श पी.5 जब्त कर उसे सुपुर्द किया था जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। गवाह ने कथन किया है कि पुलिस ने उससे पूछताछ नहीं की। पुलिस बयान प्रदर्श पी.6 का हिस्सा ए से बी सुनकर गवाह ने लिखाने से इंकार करते हुए इस सुझाव को अस्वीकार किया है कि उसके पति जाकिरहुसैन ने नकद रूपयों व सामान की मांग को लेकर उसे शारीरिक व मानसिक तौर पर प्रताड़ित किया हो। गवाह ने यह स्वीकार किया कि उनका आपस में राजीनामा हो गया है तथा स्वतः कथन किया कि वे अब साथ साथ रहते हैं तथा अब वह मुलजिम के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं चाहती है। गवाह ने इस सुझाव को अस्वीकार किया कि राजीनामा हो जाने के कारण वह मुलजिम को बचाने के लिए झूठै बयान दे रही हो। इस गवाह से बावजूद अवसर अभियुक्त की ओर से कोई जिरह नहीं की गई है।

9. अभि.सा.2 हाजरा बानो परिवादिया रूबिना की माता है जो भी पक्षद्रोही घोषित हुई है और इस गवाह ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन

किया है कि उसकी लड़की रूबिना का निकाह बयान से करीब साढ़े पांच साल पहले जाकिरहुसैन के साथ अपनी हैसीयत के अनुसार किया था। निकाह के बाद रूबिना ससुराल आने जाने लगी। रूबिना को उसका पति व अन्य ससुरालजन अच्छे से रखते थे। रूबिना ने उसे कभी भी जाकिरहुसैन के द्वारा दहेज की मांग को लेकर तंग परेशान करने की बात नहीं बताई ना ही उसने सुनी। अभियोजन अधिकारी द्वारा की गई जिरह जिरह में गवाह ने यह स्वीकार किया है कि रिपोर्ट पेश करने वह साथ गई थी। रिपोर्ट प्रदर्श पी.1 व चाक रिपोर्ट प्रदर्श पी.4 पर एक्स स्थान पर उसकी अंगूठा निशानी है। गवाह ने स्वतः बताया कि वह पढ़ीलिखी नहीं है। रिपोर्ट में क्या लिखा था उसे नहीं पता, उसका तो केवल अंगूठा करवाया था। पुलिस ने उससे पूछताछ नहीं की। पुलिस बयान प्रदर्श पी.7 का हिस्सा ए से बी सुनकर गवाह ने लिखाने से इंकार करते हुए रूबिना का राजीनामा होना स्वीकार किया है तथा कहा है कि अब अपने पति के साथ रहती है। गवाह ने इस सुझाव को अस्वीकार किया है कि जाकिरहुस।न ने रूबिना को नकद रूपयों व सामान की मांग को लेकर तंग परेशान किया हो तता राजीनामा हो जाने के कारण वह मुलजिम को बचाने के लिए झूठे बयान दे रही हो। इस गवाह से भी बावजूद अवसर अभियुक्त की ओर से कोई जिरह नहीं की गई है।

11. इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्य का विवेचन करने पर यह स्पष्ट होता है कि इस प्रकरण में स्वंय परिवादिया रूबिना अभि.सा.1, सहित परिवादिया का माता हाजरा बानो अभि.सा.2 के रूप में न्यायालय के समक्ष पक्षद्रोही घोषित हुए है। अभियोजन की ओर से परीक्षित किसी भी गवाह ने ऐसा कोई कथन नहीं किया है कि अभियुक्त ने परिवादिया रूबिना से दहेज की मांग की हो और उस मांग की पूर्ती नहीं करने पर रूबिना को तंग परेशान व मारपीट कर उसके साथ क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया हो और पत्रावली पर अभियुक्त के विरूद्ध लैशमात्र भी आरोपजन्य साक्ष्य अभिलेख पर अभियोजन की ओर से प्रस्तुत नहीं की गई है।

12. परिणामतः उपरोक्त समस्त विवेचन के आधार पर अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरूद्ध यह तथ्य संदेह से परे प्रमाणित करने में पूर्ण रूप से असफल रहा है कि अभियुक्त ने दिनांक 28.11.2017 से करीब पांच वर्ष पूर्व किसी समय कस्बा रतनगढ़ में परिवादिया श्रीमती रूबिना के साथ स्वंय की शादी संपन्न होने के बाद से निरंतर उसे और अधिक दहेज की अवैध मांग को लेकर तंग व परेशान व मारपीट कर उसके साथ क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया हो,अतः अभियुक्त जाकिरहुसैन धारा 406 व 323 भा.द.सं.के अपराध के आरोप से बरूवे राजीनामा व धारा 498ए भा.द.सं.के अपराध के आरोप से साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त किये जाने योग्य पाया जाता है।

<u>आदेश</u>

13. अभियुक्त जाकिरहुसैन पुत्र ईसबअली उर्फ युसुफखां जाति कायमखानी निवासी राजपुरा तहसील तारानगर जिला चूरू को धारा 406 व 323 भा.द.सं.के अपराध के आरोप से बरूवे राजीनामा व धारा 498ए भा.द.सं.के अपराध के आरोप से साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त घोषित किया जाता है। अभियुक्त की नियमित उपस्थिति बाबत जमानत–मुचलका निरस्त किये जाते हैं। अभियुक्त धारा 437ए द.प्र.सं.के अंतर्गत पांच हजार रूपये की राशि की एक जमानत व इसी राशि का स्वंय का मुचलका पेश कर प्रमाणित करवायेगा।

14. प्रकरण में जब्तशुदा दहेज का सामान परिवादीया रूबिना के पास है जो उसी के पास रहेगा।

(अविनाश चौधरी)

अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
रतनगढ़(चूरू)

14. निर्णय आज दिनांक 08.01.2018 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में लिखाया व सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया।

(अविनाश चौधरी)

अति0 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
रतनगढ़ (चूरू)